

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –14 / 2023

रेणु कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14— फार्म संख्या—563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	<p>यह पुनरीक्षण / अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या—18579 / 2014 में दिनांक 01.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वैशाली के आदेश दिनांक—27.07.2009 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक—01.12.2022 को अंश निम्नवत हैः—</p> <p>"Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner would be availing remedy against the order dated 28-01-2009 passed by the District Magistrate, Vaishali at Hajipur. With liberty, as prayed for, this petition is disposed of."</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना । सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत वाद में सेविका / सहायिका के पद पर चयन हेतु 2004 में विज्ञापन का प्रकाशन हुआ । सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता से इस संबंध में पूछे जाने पर कि क्या प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को है, उनके द्वारा कोई संतोषप्रद (स्पष्ट) जवाब नहीं दिया गया एवं नहीं ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया</p>	

जिससे यह साबित हो जाये कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में सेविका का चयन वर्ष 2005 से पूर्व का है एवं समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में वैसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित हैं कि “जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।” प्रश्नगत मामले में पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त